भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2579

उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संवर्धन

2579. श्री जगन्नाथ सरकार :

श्री संजय उत्तमराव देशमुख :

श्री कालिपद सरेन खेरवाल:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की कला, संगीत और साहित्य सहित समृद्ध संस्कृति और विरासत के परिरक्षण और संवर्धन के लिए वर्तमान पहलों सहित आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के स्थानीय कलाकारों, लोक कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थाओं और पारंपरिक शिल्प कार्यक्रमों तथा योजनाओं को सहायता प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रमों और योजनाओं से महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, विशेषकर झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में अब तक कितने कलाकार लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कलाकारों और पुरुलिया और झाड़ग्राम जिलों के प्रसिद्ध लोक नृत्यों जैसे छऊ, झुमुर, दांता, रिंझा आदि तथा महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कलाकारों और लोक नृत्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों में कितनी प्रगति हुई है;

(च) युवाओं को सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए इसको स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करने हेतु क्या सहायता प्रदान की गई है;

(छ) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पारम्परिक मेलों और उत्सवों को बढ़ावा देने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन मेलों को शामिल किया गया है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध संस्कृति और धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में विभिन्न स्कीमों का संचालन करता है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में 'बांग्ला' और 'मराठी' को प्राचीन भाषा घोषित किया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने निम्नलिखित स्वायत्त निकायों के माध्यम से संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करता है:

(क) संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, साहित्य अकादमी (एसए) अपने द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देता है। उन भाषाओं के साहित्य के अलावा, अकादमी देश की वृहत और विविध जनजातीय और मौखिक परंपराओं को भी बढ़ावा देती है। इनमें से कुछ साहित्यिक कृतियों को अन्य कला रूपों में भी अपनाया जाता है और साहित्य अकादमी लोका और आविष्कार जैसे कार्यक्रम श्रृंखलाओं के माध्यम से ऐसी पहल को बढ़ावा देती है।

साहित्य अकादमी ने मराठी में लगभग 350 पुस्तकें और बांग्ला में लगभग 450 पुस्तकें मूल रूप में प्रकाशित की हैं, जिनमें संकलन और अनुवाद शामिल हैं तथा इनमें से कई पुस्तकों का कई बार पुनर्मुद्रण भी किया गया है।

(ख) ललित कला अकादमी (एलकेए) नियमित रूप से कला शिविर / कार्यशालाएं / प्रदर्शनियां / कला महोत्सव आदि आयोजित करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित देश भर से कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है।

(ग) संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) देश में मंच कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय के रूप में कार्यरत है, जो संगीत, नृत्य, नाटक और लोक एवं जनजातीय मंच कलाओं के रूप में अभिव्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत को संरक्षित और बढ़ावा दे रही है।

(घ) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) 1979 में अपनी स्थापना से ही शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने के लिए समर्पित है। इसने सेवारत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों (प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक), शिक्षक प्रशिक्षकों (डाइट व्याख्याताओं सहित) और प्रशासकों के लिए विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके सांस्कृतिक विरासत को शिक्षणशास्त्र में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ख): संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, ललित कला अकादमी के कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय केंद्र हैं। ये केंद्र क्रमशः पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले कलाकारों के लिए कला स्टूडियो प्रदान करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। महाराष्ट्र दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एससीजेडसीसी), नागपुर और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (डब्ल्यूजेडसीसी), उदयपुर का सदस्य राज्य है जबकि पश्चिम बंगाल ईजेडसीसी का सदस्य है। ये जेडसीसी विशेष रूप से अपने सदस्य राज्यों की लोक और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे वर्ष नियमित आधार पर सदस्य राज्यों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों से लाभान्वित कलाकारों/सांस्कृतिक संस्थाओं की संख्या **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

(घ): भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी (एसएनए) के माध्यम से भारत की मंच कलाओं को सक्रिय रूप से संवर्धित और परिरक्षित कर रही है। 2018 में, एसएनए ने झारखंड के चंदनकियारी में 'छऊ केंद्र' की स्थापना की, ताकि छऊ नृत्य को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, अकादमी की "कला दीक्षा" (गुरु शिष्य परंपरा) स्कीम कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करती है। इसमें पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ के लिए दो समर्पित कार्यक्रमों सहित झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य की 14 पहल शामिल हैं।

"कला दीक्षा" स्कीम विभिन्न पारंपरिक कला रूपों को सहायता प्रदान करती है। यह महाराष्ट्र में, गुरु डॉ. देवनन्द माली के अंतर्गत शाहीरी पोवडा में, गुरु श्री गणपत सखाराम मस्गे के अंतर्गत चित्रकथी और गुरु श्री मिलिंद तुलांकर के अंतर्गत जलतंरग में प्रशिक्षण को वित्तपोषित करती है। पश्चिम बंगाल में यह स्कीम गुरु गोपाल बर्मन के अधीन श्रीखोल और गुरु श्री सुकासिंग लेपचा के अधीन लेपचा पारंपरिक संगीत में प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत संचालित ये सभी कार्यक्रम भारत भर में विविध मंच कलाओं को संरक्षित करने और उनका प्रचार करने के लिए एसएनए की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(ड.): मंत्रालय, सांस्कृतिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे राष्ट्रीय उत्सवों में भागीदारी करके और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय,

दोनों स्तर पर पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान करना पश्चिम बंगाल की परंपराओं के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, साहित्य अकादमी द्वारा बांग्ला साहित्य और उसके अनुवादों को पुस्तक मेलों और साहित्य महोत्सव, युवा लेखक सम्मिलन जैसी प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित करती है, जिससे युवा कलाकारों और सांस्कृतिक पेशवरों के लिए एक मंच उपलब्ध होता है। साथ ही, संगीत नाटक अकादमी पश्चिम बंगाल के कलाकारों और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी प्रतिभा को पूरे भारत में पहचाना और सराहा जाए।

(च): संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) पारंपरिक कलाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं और शिक्षकों को सक्रिय रूप से शामिल करता है, निःशुल्क सांस्कृतिक शिक्षा किट प्रदान करता है, तथा गहन अध्ययन और प्रलेखन के लिए छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति कार्यक्रमों का समर्थन करता है।

इसके अतिरिक्त, संगीत नाटक अकादमी की "कला धरोहर" पहल भारतीय मंच कलाओं को सीधे देश भर के स्कूलों में ले जाती है, जिसमें प्रख्यात कलाकार और विद्वान, हमारी विविध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति छात्रों की समझ और सराहना को बेहतर बनाते हैं, जिससे सांस्कृतिक रूप से जागरूक और तत्पर भावी पीढ़ी के निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

(छ) और (ज): मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वित्तीय सहायता जारी नहीं करता है। तथापि, यह मंत्रालय "स्थानीय महोत्सव और मेले" नाम से एक स्कीम का संचालन करता है। इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव (आरएसएम) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिनमें महाराष्ट्र सहित देश भर से बड़ी संख्या में कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आते हैं। नवंबर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश भर में चौदह (14) आरएसएम और चार (04) क्षेत्रीय स्तर के आरएसएम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने 11 से 19 फरवरी, 2023 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आरएसएम का आयोजन किया है, जहाँ महाराष्ट्र के लोक कलाकारों को भी कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इन जेडसीसी द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 42 क्षेत्रीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत 38.67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

अनुलग्नक-I

'सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्कीमों का संक्षिप्त विवरण

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत एवं नृत्य क्षेत्र में 01 गुरू और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। कलाकारों की आयु के अनुरूप गुरु के लिए 15000/- रु. प्रतिमाह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपए प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम में निम्नलिखित उप-घटक शामिल हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन में शामिल राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों का संवर्धन और उन्हें सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच (5) वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत अनुदान की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष परिस्थितियों में 5.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी

संगठन के लिए 5 लाख रुपए का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 20 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को संवर्धित एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए तक होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपए प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर जहां नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

vi. स्थानीय महोत्सव और मेले

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थलों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों, प्रतिष्ठित गैर-लाभ-अर्जक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाओं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। सामान्यत: इस स्कीम घटक के अंतर्गत, किसी परियोजना के लिए अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार/पूर्वोत्तर परियोजनाओं हेतु एनजीओ या संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा तथा एनईआर को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य के हिस्से (समतुल्य हिस्सा) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं।

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग (वरिष्ठ) के उत्कृष्ट व्यक्तियों को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए क्रमश: 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय

शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में मान्यताप्राप्त अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है ताकि विद्वानों/शिक्षाविदों को प्रोत्साहित करते हुए इन संस्थाओं के साथ पारस्परिक हित की परियोजनाओं पर वे स्वयं को संबद्ध कर सकें। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए कुल 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और कुल 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों एवं विद्वानों जिनकी वार्षिक आय 72000/- रुपये से अधिक न हो और उन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशेष क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, को प्रति माह अधिकतम 6000/- रुपये तक की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात वित्तीय सहायता उनके/उनकी पति/पत्नी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

अनुलग्नक–II

'सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और संरक्षण' के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क. महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीमों से लाभान्वित सांस्कृतिक संस्थानों की संख्या का ब्यौरा।

स्कीम का नाम	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25** (अब तक)
सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	महाराष्ट्र	27	56	34	16
स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान	महाराष्ट्र	2	-	2	2
	पश्चिम बंगाल	3	5	1	1
राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	महाराष्ट्र	-	-	1	-
	पश्चिम बंगाल	2	-	2	2
बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता	महाराष्ट्र	3	11	14	3
	पश्चिम बंगाल	12	72	92	19
गुरू-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	महाराष्ट्र	33	41	97	30
	पश्चिम बंगाल	112	333	418	158

ख. महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विगत तीन वर्षों के दौरान स्कीमों से लाभान्वित कलाकारों की संख्या का ब्यौरा।

स्कीम का नाम	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25** (अब तक)
उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम	महाराष्ट्र	75	84	85	45
	पश्चिम बंगाल	81	87	100	70
विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	महाराष्ट्र	132	40	127	80
	पश्चिम बंगाल	195	67	278	217
कलाकार पेंशन योजना	महाराष्ट्र	448	740	1239	1249
	पश्चिम बंगाल	32	27	35	34

*****